जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्र : करौंदा नाला इमलिया, जबलपुर, पो. बाक्स 2, अधारताल, जबलपुर 482004 (म. प्र.)
दूरभाष पी. बी. एक्स. 2353017, 2353051. फैक्स : 0761-2353150
आई. एस. ओ. 9001: 2000 एवं 22000:2005 प्रमाणित संस्थान

TIN. : 23875801833 PAN : AAAAJ0485D

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मदनमहल रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्र. 03 में फुट ओवर ब्रिज के पास साँची पार्लर आवंटित करने हेतु (पार्लर साईज 60 Sqft.) अभिव्यक्ति की अभिरूचि सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है। इच्छुक आवेदनकर्त्ता इस कार्य हेतु आवेदन पत्र, नियम एवं शर्तो का विस्तृत विवरण www.mpcdf.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदनकर्त्ता को आवेदन प्रपत्र एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाईट से डाउनलोड कर आवेदन प्रपत्र क्रय मूल्य रू. 1000/- की डी. डी. ''जो कि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर'' के नाम से देय होगा, संलग्न कर एवं प्रपत्र को भरकर दिनांक 09.08.2019 दोपहर 2:00 बजे तक जबलपुर दुग्ध संघ के सभा कक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। प्राप्त सभी आवेदनों को उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित आवेदनकर्त्ता/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा।

किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
करौंदानाला, इमलिया, जबलपुर

1	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**09.08.19 दोपहर 02:00 बजे तक जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर**
2	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	**09.08.19 दोपहर 03:00 बजे**
3	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	**रू. 1000/– (एक हजार रूपये मात्र)**
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	**आवेदन के साथ रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) डी.डी. ''जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर'' पेयबल एट जबलपुर के नाम से देय हो**
5	आवेदन खोलने का स्थान	**मीटिंग हॉल, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर**
6	तकनिकी अर्हताएं	**प्रपत्र 01**
7	नियम एवं शर्तें	**प्रपत्र 02**
8	परिचय	**प्रपत्र 03**

<u>आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–</u>

- प्रपत्र क्र.01 '' तकनीकी अर्हताएं '' प्रपत्र क्रमांक 02 '' नियम एवं शर्तें '' एवं प्रपत्र क्र.03 '' परिचय को बन्द लिफाफे में एक साथ प्रस्तुत किया जावे, एवं लिफाफे पर ''रेल्वे मिल्क पार्लर हेतु आवेदन '' लिखा जावे साथ ही लिफाफो पर प्रेषक का नाम, पता अंकित किया जावे।
- आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- पूर्ण दस्तावेज एवं सुरक्षा निधि राशि के बिना प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदक द्वारा प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र क्र. 03 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

प्रपत्र 01

तकनीकी अर्हताये

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर ।

महोदय,

रेल्वे मिल्क पार्लर कार्य मदन महन स्टेशन के प्लेटफार्म क्र. 03 हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा सुरक्षा निधि राशि रू.10,0000/– (रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक ....जो कि, ...बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल /मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4	आवेदनकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
5	**जीएसटी नम्बर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में निविदाकार को जीएसटी नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य**		जीएसटी नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें नये कार्य प्रारंभ करने की दशा में आवेदन की प्रति संलग्न करे।
8	**वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण**		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी।
9	**FSSAI लाईसेंस होना अनिवार्य है अथवा नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करे।**		FSSAI लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करें अथवा किए गए आवेदन की प्रति संलग्न करें

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ————————————————

नाम :– ——————————————————

पता :– ——————————————————

————————————————

————————————————

मोबाईल नं.————————————————

<u>प्रपत्र क्र.02</u>

रेल्वे मिल्क पार्लर कार्य हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें :–

1. आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

2. आवेदक को आवेदन के साथ रू. 100,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की डी.डी. जो कि ''जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर'' के नाम से देय होगी, सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।

3. सफल आवदेनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ में राशि रू. 60000/– (साठ हजार को रूपये मात्र) प्रथम वर्ष हेतु डी.डी. जो की ''जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर'' के नाम से देय होगी, लाईसेंस फीस राशि के रूप में जमा करना होगी।

4. आवेदनकर्ता को दूध एवं दूध पदार्थों के व्यवस्थित भंडारण हेतु पार्लर में डी–फ्रीजर की व्यवस्था करना होगी इस हेतु आवेदनकर्ता को पृथक से भुगतान नही किया जावेगा।

5. आवेदनकर्ता को अपनी दूध पदार्थों की मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को ऑन लाईन द्वारा jabalpur.sanchi@gmail.com में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार ही मांग की पूर्ती की जा सकेगी।

7. आवेदनकर्ता को दूध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जांच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट हानि की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की रहेगी।

8. आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार रू.1000/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा

9. आवेदनकर्ता जो भी मासिक लक्ष्य दिये जाते है, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में दुग्ध संघ द्वारा जो भी अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा वह आवदनकर्ता को मान्य होगा।

10. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

11. प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

12. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

13. सफल आवेदनकर्ता को नियमानुसार कार्य स्वीकृती उपरांत निम्नानुसार पार्लर संचालन कार्य हेतु लाईसेंस फीस दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा :–

अ. प्रथम वर्ष हेतु–– राशि रू. 60,000/–

ब. द्वितीय वर्ष हेतु–– राशि रू. 60,000/–

स. तृतीय वर्ष हेतु––– राशि रू. 60,000/–

द. चतुर्थ वर्ष हेतु––– राशि रू. 66,000/–

न. पंचम वर्ष हेतु––– राशि रू. 66,000/–

14. सफल आवेदनकर्ता को पार्लर कार्य हेतु एक वर्ष हेतु दुग्ध संघ में लाईसेंस फीस जमा करना होगा तथा एक वर्ष के उपरांत गठित समिति द्वारा आवेदनकर्ता के कार्य की समीक्षा की जावेगी तथा कार्य संतोषजनक होने की दशा में आगामी एक–एक वर्ष कर वृद्वि की सकेगी तथा बिंदु क्र. 13 में उल्लेखित विवरण अनुसार आगामी वर्षों हेतु लाईसेंस फीस जमा करनी होगी।

15. आवेदनकर्ता को दूध उत्पाद निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को विक्रय करना अनिवार्य होगा। निर्धारित खुदरा मूल्य से अधिक दर विक्रय करते पाये जाने की दशा में पार्लर आवंटन कार्य निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा आवेदनकर्ता की सुरक्षा निधि राशि एवं लाईसेंस फीस राजसात कर ली जावेगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदेही आवेदनकर्ता की होगी एवं दुग्ध संघ भी कार्यवाही से मुक्त होगा।

16. आवेदनकर्ता को नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में तकनिकी अर्हताओं के प्रपत्र क्र. 01 में चाहे गये अनुसार जीएसटी नं. एवं फूड लाईसेंस के आवेदन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन स्वीकृत होने की दशा में एक माह के अंदर मूल जीएसटी एवं फूड लाईसेंस की प्रति दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की पार्लर आवंटन प्रक्रिया निरस्त कर दिया जावेगा।

17. प्रपत्र क्र. 04 अनुबंध पत्र का प्रारूप है जिसे आवेदनकर्ता ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। अनुबंध पत्र को आवेदनकर्ता को कार्य स्वीकृत होने के उपरांत ही निष्पादित कर दुग्ध संघ में जमा कराना होगा।

18. आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र एमपीसीडीएफ की वेबसाईट से डाउनलोड कर एवं आवेदन पत्र में चाहे गये वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर यथा रू. 1000/– फार्म का क्रय मूल्य सहित, सुरक्षा निधि राशि की डी.डी. सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगें।

19. आवेदनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ एवं पश्चित मध्य रेल्वे के साथ संयुक्त रूप से रू. 1000/– के नॉनप ज्यूडिशियल स्टाम्प पर ट्राई पार्टी एग्रिमेंट करना अनिवार्य होगा।

20. पार्लर आवंटन हेतु एक से एक से अधिक उपयुक्त आवेदन प्राप्त होने पर चयन लाटरी प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा अर्थात यदि एक आवेदन प्राप्त होता है तो प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत आवेदन सफल होने की दशा में आवंटन कार्य दिया जा सकेगा, यदि एक से अधिक प्राप्त होते है तो चयन प्रक्रिया का आधार लाटरी के द्वारा किया जावेगा जो की सभी आवेदनकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

मेरे द्वारा रेल्वे मिल्क पार्लर कार्य हेतु आवेदन एवं समस्त शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 20 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ व मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

प्रपत्र क्र.03

आवेदनकर्ता का परिचय

आवेदनकर्ता स्वयं का रंगीन फोटो चस्पा करें।

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. स्थाई / वर्तमान पता ....
....
....

4. दूरभाष / मोबाईल नं. ....

5. शैक्षणिक योग्यता ....

6. आवेदक / फर्म का नाम / यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेज़ों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ....
....

7. वर्तमान व्यवसाय यदि हो तो (वर्तमान कंपनियों के कार्य का विवरण व प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

8. FSSAI लाइसेंस नं यदि हो तो ....

9. (अ) पेन नम्बर ....

(ब) FSSAI ....

(द) GSTIN नम्बर यदि हो तो ....

10. सुरक्षा निधि राशि रू...
डी.डी ....

11. आवेदित रेल्वे मिल्क पार्लर का नाम ....

मेरे द्वारा रेल्वे मिल्क पार्लर कार्य संबंधि इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

प्रपत्र क्र. 04

अनुबंध

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है।) एवं नाम श्री ———————————— पिता श्री———————————————,उम्र———— पता ———————————————————— (जिन्हें द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है।) के मध्य निम्नलिखित शर्तो के अधीन निष्पादित किया गया है।

1. (अ) यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर प्लेटफार्म नं ———— पर साँची पार्लर रेल्वे स्टेशन ———— से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत करता है।

(ब) यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष बिना किसी पूर्व सूचना के एजेन्सी निरस्त की जा सकती है। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डॉक द्वारा भेजा जा सकेगा। यदि पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जायेगा। द्वितीय पक्ष एजेन्ट शिप त्यागने/छोडने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा।

(स) यह कि अनुबंध नियुक्ति तिथि से दूसरे वित्तीय वर्ष ——————— की दिनांक 31 मार्च तक की अवधि के लिये प्रभावशील माना जावेगा अर्थात् इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्ति तिथि के वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक होगी, उसके बाद पुनः अनुबंध का नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे उसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा अन्यथा पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिये प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा।

यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना किसी नोटिस के अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

(द) यह कि प्रथम पद्वा द्वारा एजेन्सी निरस्त करने का द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में पार्लर का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी को देना होगा, ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार होगा।

(इ) यह कि दोनों पक्षों में यदि विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद—आरबीटशन हेतु अध्यक्ष जबलपुर दुग्ध संघ एवं नामांकित व्यक्ति को संदर्भित किया जायेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आरबीट्रशन की कार्यवाही आरबीट्रेशन एवं कॉउन्सिल अधिनियम 1996 के अन्तर्गत संपादित होगी।

(उ) यह कि अनुबंध के अन्तर्गत विषयों के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय का होगा।

(उ) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर होगा।

2. (अ) यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति समय रूपये ———————————— बतौर जमानत राशि प्रथम पक्ष के पास जमा करायेगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(ब) यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(स) यह कि अमानत राशि पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

(द) यह कि अनुबंध की पूर्ति दो संभ्रांत व्यक्तियों की रूपये 20000/— प्रत्येक की जमानत राशि देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानत नामे भी इकरार नामे क परिशिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेगें एवं द्वितीय पक्ष और उसके जमानतदारों पर बंधनकारक होगें।

(इ) यह द्वितीय पक्ष द्वारा सिक्यूरिटी वापसी के आवेदन करे के छैः माह के पश्चात् ही सिक्यूरिटी वापिस होगी।

3. (अ) द्वितीय पक्ष को आवंटित इस पार्लर को चौबीस घंटे या आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा निर्धारित समयावधि में खुला रखना होगा।

(ब) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय—समय पर निर्धारित दुग्ध पदार्थो की विक्रय मूल्य तालिका एवं पार्लर खुलने एवं बंद होने की समय तालिका पार्लर पर लगाना आवश्यक होगा।

4. (अ) यह कि नगर निगम या संबंधित विभाग से पार्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थो का विक्रय लाईसेंस द्वितीय को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।

(ब) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उप नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नापतौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी।

(स) यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी।

(द) यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा, जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थो के समान्तर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।

(इ) यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय भूमि किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पद्वा द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(ई) यह कि द्वितीय पक्ष आवंटित पार्लर का अनुचित प्रयोग नहीं करेगा न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगें एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे।

5. (अ) प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित नियमानुसार वितरक को नगद भुगतान करना होगा या बैंक में जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो अवकाश के दिन एवं कार्यालयीन दिवस में प्रदाय किये गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ सामग्री राशि को बैंक में कार्यालयीन दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा।

(ब) क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिये स्वीकृत एजेन्ट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेन–देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दि ा निर्दे ों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(स) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही माल विक्रगय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय करते पाये जाने पर द्वितीय पक्ष की एजेन्सी तुरंत समाप्त की जा सकेगी।

6. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा मालकी अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील सरंधा आदि की जाँच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

7. यह कि शासन से संबंधित विभाग जैसे– रेल्वे द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी ईकाई ही द्वितीय पक्षे देवेंगे। इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे, यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई ईकाई या खुला पदार्थ दिया तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथ पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

8. यह कि पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा फर्नीचर एवं फिक्चर्स उपलब्ध कराये है एवं भविष्य में उपलब्ध कराये जावेगें, किसी भी कारण उसकी टूट–फूट नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसी भरपाइ द्वितीय पक्ष को करना होगा।

9. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये दुग्ध एवं दुग्ध पदाथ एवं खाली क्रेटस, बॉटल का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगें।

11. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जायेगें, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना होगा।

12. यह प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार दुग्ध पदार्थ के कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी रहेगा।

13. यह कि इस अनुबंध की शर्ते व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।

14. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकने पर प्रथम पक्ष आवंटन निरस्ती या अन्य आवंटन आदि की कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में बिना सूचना एजेन्ट शिप प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तो का अभव पक्षों ने पढकर समझ ली है एवं पूर्ण होशोहवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित का निष्पादित की गई है।

दिनांकः

गवाह : हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर ————————
   नामः– ——————————————
   पता :– ——————————————

2. हस्ताक्षर ———————— द्वितीय पक्ष
   नामः– ——————————————
   पता :– ——————————————